20/1/25	पत्रावली प्रेक्षित हुई। पत्रावली में संलग्न प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि पक्षकारों में आपसी विवाद चल रहा है। किसी अवैध निर्माण की शिकायत नहीं। अतः पत्रावली अभिलेख प्रतिवादिगण के पक्ष में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27/2/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.) पीलीबंगा	
27/2/25	पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी एवं वकील वादी के प्रकथन के समक्ष निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता हो गया है। वादी एवं वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 पर हस्ताक्षर किए। अतः वादी एवं वकील वादी के अनुरोध पर वाद वादी और प्रेक्षक के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर कार्यवाही समाप्त समझी जावे। निर्णय अलग से दिनांक 27/2/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जावे। सहायक कलक्टर (मु.) पीलीबंगा	पक्षकारों के मध्य समझौता के आधार वादिनामा होने के कारण वादी अब वाद को नहीं चलाना चाहता है। वादी प्रार्थना पत्र 27-2-25

Scanned with CamScanner